तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वाद पत्र संख्या 160/2021 GCMS NO. 2021/530
उनवानी धर्मपाल बनाम राजस्थान सरकार जरिये भू-स्वामी
तहसीलदार खेतड़ी
अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955

07.06.2024

पत्रावली पेश हुई। सुनवाई हेतु अधिवक्ता वादी उपस्थित आये। अधिवक्ता वादी के निवेदन पर पत्रावली पर बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। हस्तगत वाद के जरिये वादी का मुख्य अनुतोष यह रहा है कि वाके राजस्व ग्राम मेहाड़ा जादूवास स्थित भूमि खसरा नम्बर 937 रकबा 0.26 हेक्टेयर पर पहले वादी के पूर्वज काबिज काश्त थे जिनका इस भूमि पर ठिकाना के समय से अर्थात संवत 2008 से पहले से कब्जा काश्त चला आ रहा था। इसलिये वादी को वाके राजस्व ग्राम मेहाड़ा जादूवास स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 937 रकबा 0.26 हेक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि वादग्रस्त भूमि सवत 2012 से ही राजकीय भूमि रही है। वादग्रस्त भूमि पर वादी की हैसियत केवल एक अक्रिमी की है। वादी के द्वारा राजकीय भूमि स्थित राजस्व ग्राम मेहाड़ा जादूवास के हाल खसरा नम्बर 937 रकबा 0.26 हेक्टेयर किस्म बंजड-2 पर किये गये अनाधिकृत अक्रिमण शुदा भूमि के खातेदारी अधिकारों की बाबत घोषणा चाही गई है, जो राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियमों के तहत नियमन की श्रेणी में आता है।

-: आदेश :-

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप वादी का हस्तगत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। मिसल दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7/6/24

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला नीमकाथाना (राज0)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.21 11:34:30 IST
Reason: SelfAttested